न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बरही (हजारीबाग)

वाद संख्या 09/17 धारा 144 दं0 प्र0 सं0

भुनेश्वर प्रसाद –बनाम– महेश प्रसाद

तारीख	–: आदेश :–	अभ्युक्ति
18.04.2017	प्रस्तुत वाद बरकट्ठा थाना अप्राथमिकी सं0 – 16/17 दिनांक 14.02.2017 के आधार पर मौजा गंगपाचो थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लौट नं 3485 रकवा 01 ए0 मधे 0.50 डी0 चौहदी उ0– सुखदेव महतो, द0– रेवा सुण्डी, पु0– पक्की सड़क, प0– आवेदक का जमीन वाली भूमि पर दिनांक 25.02.2017 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई। धारा 144 द0प्र0स0 के तहत प्रारम्भ करते हुए पक्षकारो को नोटिस निर्गत कर अपना–अपना कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजातो की मांग की गयी नोटिस तामिला अभिलेख मे संलग्न। नोटिस प्राप्ति के पश्चात पक्षकार उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया उनका कहना है कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष के पिता तालो महतो द्वारा 1977 में खरीदे है, तब से दखल–कब्जा एवं रसीद निर्गत है और कई वर्षों के बाद बिना कारण के विवाद द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाता है। प्रथम पक्ष साक्ष्य के रूप में (1) केवाला (2) रसीद (3) नोटिस भुनेश्वर प्रसाद (4) खतियान (5) जनसंवाद प्रतिवेदन (6) केवाला टेकनी देवी की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। इन्होंने पारा 6 में उल्लेखित किया है कि द्वितीय पक्ष महेश प्रसाद के पिता सुखदेव महतो खतियानी वंशज है एवं उन्होंने वर्ष–1986 में खाता सं0 33, प्लॉट सं0 3485, रकबा 10.00 ए0 मधे 0.50 ए0 भूमि अपनी पत्नी श्रीमती टेकनी देवी के नाम से केवाला कर दिये है तथा दाखिल खारीज के पश्चात सरकारी रसीद निर्गत हैएवं शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। इन्होंने पारा–8 में लिखा है कि उक्त भूमि के कुछ भाग पर करकेट शीट का एवं कुछ भाग पर पक्का मकान बना हुआ है। पारा 10 में इन्होंने लिखा है कि प्रथम पक्ष काफी दबंग है एवं ताकत के बल पर हमारी भूमि को हड़पना चाहते है। द्वितीय पक्ष साक्ष्य के रूप में (1) खतियान (2) केवाला (3) सरकारी रसीद की छाया प्रति दाखिल किये है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के द्वारा उक्त विवादित भूमि के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा ने अपने जाँच में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष महेश प्रसाद अपने चौहदी एवं	

दखल के अनुसार कुछ हिस्सा पर मकान बनाया है तथा शेष भाग पर नींव खोदा गया है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा द्वारा अनुशंसित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की विस्तृत जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष मौजा गंगपाचो के खाता सं0 33, प्लॉट सं0 3485, रकबा 01 ए0 मधे 50 डी0 की केवाला ए0 5650 दिनांक 30.08.1977 द्वारा खतियानी रैयत के वंशज से प्राप्त किया है जिसकी वर्त्तमान चौहदी उ0–सुखदेव महतो, द0– रेवा सुंडी, पू0–पक्का मकान एवं विवादित ईट एवं करकट का मकान, प0– नीज है। जमाबन्दी कायम कर रसीद निर्गत है।

द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्ष की माँ श्रीमती टेकनी देवी पिता तोखानी महतो को केवाला सं0 6169/6146 दिनांक 28.07.1986 अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि खाता सं0 33, प्लॉट सं0 3485, रकबा 01 ए0 मधे 50 डी0 प्राप्त है। जिसकी चौहदी, उ0– नीज, द0–रेवा सुंडी, पू0– पक्की सड़क, प0– प्रथम पक्ष भुनेश्वर प्रसाद है। जमाबन्दी कायम है, रसीद निर्गत है। जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि मौजा गंगपाचो, खाता सं0 33, प्लॉट सं0 3485 का कुल रकबा 01 ए0 में से प्रथम पक्ष पश्चिम की ओर 50 डी0 भूमि पर जोत आबाद में है तथा द्वितीय पक्ष महेश प्रसाद पूरब में 50 डी0 भूमि पर अपने दखल कब्जा में पक्का मकान एवं ईट तथा गिलवा पर करकेट शीट का मकान बनाया है।

उपरोक्त स्थिति में उभय पक्षों के लिखित जवाब उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के जांच रिपोर्ट के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष महेश प्रसाद के पक्ष में रिक्त (Vacate) तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध नियमन निरपेक्ष (Absolute) घोषित करता हूँ।

लेखापित एवं संशोधित।

18/04/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

18/04/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।